संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार सिंघम टाईम्स पृष्ठ 09 दिनांक 25/03/2021

राजस्व अमले द्वारा दो दुकानें सील की गई

रतलाम। मास्क नहीं पहनने और दुकान में ज्यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इनमें कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स सम्मिलित है। दोनों दुकानें 24 घंटे के लिए सील कर दी गई है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड निर्देशन में मास्क का नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान जिले में सतत जारी रहेगा। कलेक्टर ने अपील की है कि सभी व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से पहने, कोरोना के संक्रमण से बचें। सिंघम 25

मास्क नहीं पहनने पर पोहावाला और पेटलावद ज्वेलर्स की दुकानें सील

25/03/2021

● रतलाम

मास्क नहीं पहनने और दुकान में ज्यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इनमें कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स सम्मिलित है। दोनों दुकानें 24 घंटे के लिए सील कर दी गई है। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड निर्देशन में मास्क का नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान जिले में सतत जारी रहेगा। कलेक्टर ने अपील की है कि सभी व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से पहने, कोरोना के संक्रमण से बचें।

खुले में कचरा डालने पर दो दुकानदारों पर 2000–2000 का जुर्माना

रतलाम । नगर को कचरा मुक्त बनाने हेतु नगर के सभी घरों एवं दुकानों से कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से कचरा संग्रहित किया जा रहा है किन्तु कुछ नागरिकों एवं दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डाला जा रहा है ऐसे नागरिक एवं दुकानदारों पर लगाने हेतु कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

माणक चौक क्षेत्र में हितेष व विजय गांधी द्वारा रात्री के समय दुकान बंद करने के समय खुले में कचरा डालने पर 2000–2000 हजार का जुर्माना कर संबंधितों की दुकानों को सील किया गया। इसके अलावा गंदगी करने पर चन्द्र प्रकाष माणक चौक पर 500 व मुकेष इण्डस्ट्रीज एरिया पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाष षिन्दे, राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देषित किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देषित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है। नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के लिये करें प्रेरित किया जाये।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार अपनी दुनीया पृष्ठ 21 दिनांक 26/03/2021

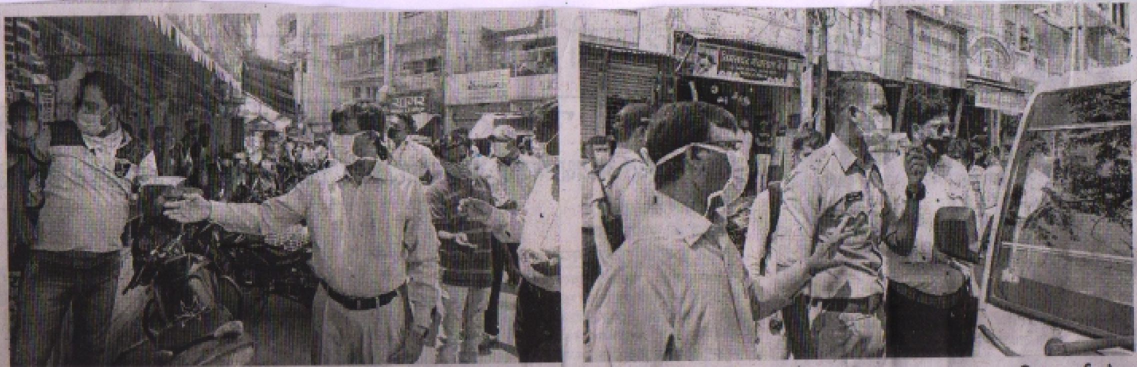

सायरन की आवाज के साथ कोरोना के विरुद्ध जनजागृति का संदेश दिया मास्क अनिवार्य है

कलेक्टर व एसपी ने सड़कों पर आकर बगैर मास्क पहने व्यक्तियों को समझाईश दी, पेनल्टी भी वसूली, मास्क भी दिए

रतलाम। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए मंगलवार से रतलाम जिले में भी विशेष जागरूकता अभियान शुरू हुआ। प्रातः 11 बजे वाहनों से सायरन के साथ सभी 2 मिनट के लिए रुके और कोरोना के विरुद्ध जनजागरण का संकल्प लिया।

जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आमजनों ने मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होकर जिलेवासियों को संदेश दिया कि वैश्विक महामारी कोरोना फिर से पाँव पसार रही है इसलिए खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। साथ ही सदैव एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाएं रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सेनेटाइज करें अथवा साबुन से धोते रहें। कोरोना के खात्मे के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। आयोजित हुए जनजागरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण तथा कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार श्रीमती अनीता चोकोटिया, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज झालानी सहित अन्य अधिकारी एवं शहरवासी मौजूद थे। इस अवसर प्रशासनिक अधिकारियों ने रतलाम शहर के डालूमोदी बाजार, माणकचौक, बजाज खाना, तोपखाना इत्यादि क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किये। साथ ही उन्हें समझाया कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना नितांत जरूरी है। डालूमोदी बाजार में दाल बाटी की दुकान के सामने कलेक्टर तथा एसपी द्वारा अन्नपूर्णा दाल बाटी सेंटर पर पेंट से गोल घेरे अपने हाथों से बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया गया। इसी दुकान के संचालक से बगैर मास्क पाए जाने पर पेनल्टी वसूली गई। दुकानदारों को सलाह दी गई कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कारोबार करें। साथ ही खुद भी मास्क लगाएं और ग्राहकों के भी लगवाएं। कलेक्टर बाजार की विभिन्न दुकानों में पहुंचे और दुकान संचालकों से चर्चा करते हुए मास्क लगाने की समझाईश दी। कलेक्टर तथा एसपी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में पहुंचकर प्रबंधकों, कर्मचारियों को मास्क पहनने की समझाईश दी गई। बैंक ऑफ इंडिया में 3 कर्मचारियों तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 2 कर्मचारियों द्वारा मास्क नहीं पहनने जाने पर उनसे पेनल्टी वसूली की गई। बाजार से गुजरते मैजिक वाहनों को चेक किया जाकर उनमें बगैर मास्क पहने पाए जाने पर दो मैजिक वाहनों से पांच सौ रुपए पेनल्टी वसूली की गई। एक मैजिक वाहन जप्त भी किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह की पहल पर कोरोना के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– अवन्तिका --पृष्ठ २२... दिनांक 26/03/...2021

शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक तालाबंदी

90 हजार से अधिक संदिग्ध मरीजों की जांच की

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शासन-प्रशासन ने कई कड़े निर्देश जारी किए

रतलाम ● स्वदेश समाचार

देश-प्रदेश के साथ ही रतलाम में भी कोरोना संक्रमण ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी कारण प्रदेश में जिन सात जिलों में रविवार को तालाबंदी की गई है उसमें रतलाम भी शामिल है, जहां शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक तालाबंदी प्रभावित रहेगी। इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेलवे स्टेशन आने व जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी।

मंगलवार को जहां 59 व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे वहीं बुधवार को यह आंकड़ा 56 तक था। कहते है कि संक्रमित मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है लेकिन लोग न तो कोविड का इलाज करवा रहे है और ना ही चिकित्सकों तक मरीज पहुंच रहे है। आरोप यह भी है कि जहां कोविड मरीजों की जांच सघनता से की जाना चाहिए वहां बराबर जांच नहीं हो रही है जिसके कारण लोग घर में ही प्राथमिक उपचार करवा रहे है, जिसके कारण कोविड मरीजों का सही आंकड़ा प्रकाश में नहीं आ रहा है।

आईलोसेशन वार्ड भर्ती मरीजों की संख्या 366

जिले में अभी तक 90 हजार 285 से अधिक संदिग्ध मरीजों की जांच की जा चुकी है। इनमें 4 हजार 980 संदिग्ध मरीज पाए गए है। आईसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या 366 है। जबकि 548 मरीजों के सैम्पल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

एक्टिव कंटेनमेंट एरियों की संख्या बढ़कर 447 तक पहुंच गई है तथा रतलाम-जावरा में कंटेनमेंट एरिये में सर्वे की संख्या 46 हजार 793 से ऊपर पहुंच गई है। 22 मार्च को मुखर्जी नगर के 47 वर्षीय युवक को भर्ती किया गया था, उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार संक्रमित मृतकों की संख्या 86 हो गई है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे सभी जिले जहां कोविड के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे है वहां विवाह समारोह, शवयात्रा, उठावना और मृत्यु भोज आदि में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आने वाले त्योहारों को देखते हुए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधि सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन को निर्देश जारी किए है। प्रभावित शहरों में 28 मार्च को कोषालय, रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 31 मार्च तक सभी स्कूल व कॉलेज में शिक्षण बंद रहेंगे। सभी परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रहेगी, इनमें प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल है। शासन ने मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, साथ ही प्रभावित जिलों में होली का त्योहार परिवारजनों के साथ ही मनाए जाने की अपील नागरिकों से की गई है। सामाजिक, धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस, गेर, मेले में सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना पर रोक लगा दी गई है। जिले में धारा 144 प्रभावशील करते हुए कई प्रतिबंध भी प्रभावशील कर दिए गए है।

चित्र : लहसुन प्याज मंडी का

लहसुन-प्याज मंडी में चाहकर भी प्रशासन सामाजिक दूरी का पालन नहीं करवा पा रहा है। तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसे देखते हुए दोनों मंडियों में सामाजिक दूरी का पालन कैसे हो इस पर विचार किया जाना चाहिए। बताते है मंडी में शनिवार से लेकर अगले रविवार तक त्योहार के कारण अवकाश होने से थोड़ी राहत मिलने की संभावना अवश्य बनी रहेगी।

विधायक काश्यप के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का नगर निगम में होगा हस्तांतरण

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

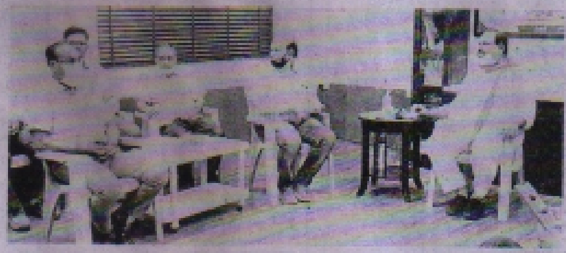

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा। गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेप्टी टेंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया। मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बटी इस कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने है। गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ। कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एम.के. गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री ए.आर. मिस्त्री, सब इंजीनियर व्ही.एस. सिसोदिया, बी.एस. राठोर, अशोक कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे

इन्दौर 5

मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी है जागरुकता अभियान-मुख्यमंत्री श्री चौहान

अभियान को सभी मिलकर सफल बनाएँ, मुख्यमंत्री ने की जिलों से बातचीत

रतलाम । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेशवासियों को हर स्थिति में फिर से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बचाना है। इसके लिए जन-जागरूकता अभियान जरूरी है। मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क पर पालन करते हुए हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करना है। प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरु किया जा रहा है। अधिकारी हों या जन-प्रतिनिधि या फिर आम नागरिक, सभी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएँ। कोरोना का कहर गहरा हो इसके पहले हमें अपने सुरक्षात्मक प्रयास तेज करने होंगे। महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में सावधानी बढ़ानी होगी।

रविवार को कुछ नगरों में लाक डाउन और कुछ जिलों में रात्रि 10 बजे बाजार बंद करने के निर्णय के बाद अब जागरूकता अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में मंगलवार 23 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजने पर सभी लोग दो मिनिट कार्य रोक कर मास्क पहनें, अन्य लोगों को भी मास्क के उपयोग के लिए प्रेरित करें।

इस अवसर पर रतलाम एनआईसी कक्ष में विधायक शहर श्री चेतन्य काश्यप, विधायक ग्रामीण श्री दिलीप मकवाना, विधायक जावरा डा. राजेन्द्र पाण्डेय, श्री राजेन्द्रसिंह लुनेरा, कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, श्री महेन्द्र गादिया, श्री गोविन्द काकानी, संयुक्त व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री मनोज झालानी, श्री सुरेन्द्र चत्तर, श्री संजय पारख, श्री आशीष पालीवाल, श्री अमित अग्रवाल, श्री बालकिशन माहेश्वरी, श्री कुशल गोधा सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। बीस व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी होने पर उस कार्यक्रम या बैठक की अनुमति जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा प्रदान करने का निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही मेलों और अन्य उत्सवों के संबंध में भी जिले के परिस्थिति अनुसार स्थानीय स्तर पर आवश्यक निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिलों में फेस मास्क की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से सुझाव भी प्राप्त किए। जावरा विधायक डा. राजेन्द्र पाण्डेय ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से चर्चा करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण बढ रहा है। रतलाम जिले से राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है, उन दोनों राज्य सरकारों से चर्चा करके वहां से रतलाम जिले में आवागमन में कमी लाने का प्रयास किया जाए। सफाई और सेनिटाईजर छिडकाव में तेजी लाई जाए। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में मास्क उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर्स को पर्याप्त मात्रा में मास्क उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें लगभग आधे प्रकरण दो बड़े नगरों इंदौर और भोपाल के हैं। इंदौर और भोपाल नगरों का प्रतिशत प्रदेश के कुल प्रकरणों का क्रमशः 27 और 25 है। वीडियो कॉन्फ्रेस में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य प्रगति पर है। तीन माह में टारगेट ग्रुप का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा।

जिलों की भागीदारी

वीडियो कौन्फ्रेंस में रतलाम से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा बताया गयाकि राजस्थान और गुजरात सीमाओं के कारण सतर्कता बरती जा रही। अशोक नगर जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा सुझाव दिया गया कि होली के अवसर पर होने वाला करीला मेला संक्रमण से बचाव की दृष्टि से स्थगित करना उचित रहेगा। निवाड़ी से बताया गया कि नजदीक ही उत्तरप्रदेश के नगर झाँसी में काफी संख्या संक्रमित लोग हैं, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्योपुर, विदिशा से भी भागीदारी हुई। इस अवसर पर अनेक जिलों से मुख्यमंत्री श्री चौहान को सरकार कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर बधाई भी दी गई।

संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों द्वारा संक्रमण नियंत्रण पर विचार विमर्श किया गया

मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा ली गई वीसी पश्चात जिला संकट प्रबंधन समूह द्वारा बैठक करके जिले में कोरोना नियंत्रण एवं भीड नियंत्रण पर विचार विमर्श किया गया। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि विवाह आदि समारोह कार्यक्रमों में आयोजक इस प्रकार इंतजाम करें कि सभी आगन्तुकों को मास्क, सेनिटाईजर वितरण के लिए काउंटर स्थापित किए जाएं जहां से प्रत्येक आने वाले को मास्क और सेनिटाईजर दिए जाएं। विधायक डा. पाण्डेय ने कहा कि बगैर मास्क चालान काटते वक्त मास्क और सेनिटाईजर की छोटी बाटल भी संबंधित व्यक्ति को दी जाए।

सफाई, सेनिटाईजर छिडकाव का कार्य तेजी से आरम्भ किया जाए। मास्क की कमी नहीं रहे। होलिका दहन के अवसर पर सीमित संख्या में उपस्थिति की अनुमति दी जानी चाहिए। सदस्य श्री गोविन्द काकानी, श्री मनोज झालानी, श्री महेन्द्र गादिया ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि इस सम्बन्ध में ठोस कार्य किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने भी भीड नियंत्रण के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी दी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार समय जगत --पृष्ठ 02 ... दिनांक 25/03/..2021

शिवराज कैबिनेट का फैसला: नक्शे से 20 प्रतिशत अधिक निर्माण फीस देकर केस सेटल करा सकेंगे

6876 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी गई। नियमितीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोग के अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। यह भी तय किया है कि जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उसमें 20% अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाएगा। इससे अधिक निर्माण को तोड़ा जाएगा। सरकार अब विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे, जिसमें अवैध कॉलोनी की कट ऑफ डेट, नियमित योग्य कॉलोनी में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉलोनाइजर और रहवासियों से कितनी राशि ली जाएगी। कैबिनेट में हुए निर्णय के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, बिना अनुमति निर्माण करने पर कॉलोनाइजर अथवा बिल्डर के खिलाफ 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऐसे प्रावधान नियमों में किए जाएंगे।

बता दें, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी, अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते बजट सत्र 10 दिन पहले स्थगित होने के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई थी। दरअसल, अवैध कॉलोनियों को वैध करने में कई अड़चने हैं, इसलिए नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग नियमों को मोडिफाई कर नए एक्ट के ड्राफ्ट को मंत्रालय भेजा था। इससे पहले भी नियमों में परिवर्तन कर राज्य सरकार ने कुछ कॉलोनियों को वैध करार दिया था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में ऐसी कॉलोनियां सबसे ज्यादा हैं। शिवराज सरकार अगर निकाय चुनाव से पहले इन्हें नियमित कर देती है, तो यह बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी घोषणा की थी, लेकिन सत्ता में वापस नहीं लौट पाए थे। कांग्रेस की सरकार में यह ठंडे बस्ते में चला गया था। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का संशोधित कानून लागू होने के बाद निर्मित मकानों के नक्शे स्वीकृत होंगे। साथ ही, लोग निर्माण के लिए बैंक से लोन भी ले सकेंगे। इन कॉलोनियों में कई प्लॉट अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि नक्शा स्वीकृत नहीं होने के कारण बैंक से लोन नहीं मिल पाया था। प्रदेश में 3 फरवरी 2000 को सरकार ने शहरी क्षेत्र में नजूल की जमीनों को (अर्बन सीलिंग) शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद इन पर अवैध रूप से कॉलोनियों और मकानों का निर्माण होता रहा, लेकिन उन्हें वैध करने के नियम नहीं थे। वर्ष 4 मई 2002 को इस बारे में तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने इन कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय तो लिया, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया। इसी के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।

ये प्रावधान भी होंगे

- पहले अवैध कॉलोनी निर्माण के दौरान रहवासी को भी अभियुक्त बनाया जाता था, लेकिन नए कानून में सिर्फ कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- बिना अनुमति निर्माण करने पर कालोनाइजर अथवा बिल्डर के खिलाफ 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
- यदि बिल्डर ने यह राशि नहीं चुकाई, तो बैंक गारंटी या फिर संपत्ति कुर्क की जाएगी।
- नगर निगम के अफसरों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि अवैध निर्माण होता है तो संबंधित अफसर व कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने रोपा स्मार्ट सिटी में पौधा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में बादाम का पौधा लगाया और बताया कि कोरोना संक्रमण की गति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इंदौर में 472 भोपाल में 385 मामले सामने आए हैं और यदि पूरे मध्यप्रदेश की बात की जाए तो 17 सौ से ज्यादा मामले सामने आए हैं मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, मेरी होली मेरे घर जैसे अभियान तो सरकार द्वारा चलाए ही जा रहे हैं लेकिन इसके साथ ही संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए कुछ और कदम भी उठाने पड़ सकते है ताकि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

सिंहम 25

विधायक के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का नगर निगम में होगा हस्तांतरण

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

सिंहम रिपोर्टर ☐ रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेफ्टी टैंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया।

मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बटी इस कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने है।

गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ। कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एम.के. गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री ए.आर. मिस्त्री, सब इंजीनियर व्ही.एस. सिसोदिया, बी.एस. राठोर, अशोक कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे।

विधायक के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का नगर निगम में होगा हस्तांतरण

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

● रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेफ्टी टैंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया। मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बटी इस कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने है। गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ।

अग्निबाण 25

वीरियाखेड़ी भेजा था तीन बोरा कचरा ऑटो से

दुकान सील करने गया दल चार हजार का जुर्माना कर लौटा

रतलाम. नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर टीआईटी रोड स्थित एक कलर लैब पर निगम का दल आया तो दुकान सील करने था, लेकिन मात्र 4 हजार रुपए का अर्थदंड लगाकर लौट आया। दुकानदार ने तीन बोरा कचरा ऑटो में वीरियाखेड़ी डालने भेज दिया था। ऑटो संचालक से पूछताछ के बाद कार्रवाई निगम के दल ने की है।

शाम करीब 5 बजे निगम का दल स्वास्थ्य विभाग प्रभारी अरविंद प्रतापसिंह के नेतृत्व में गया तो दुकानदार ने इस बात से ही इंकार कर दिया की वो गंदगी करता है। दुकानदार ने कहा कि मैं प्रतिष्ठित नागरिक हूं व दुकान के बाहर कचरा गाड़ी नहीं रुकती है। इसलिए कचरा कहीं तो फैंका जाएगा। सदस्यों ने सबूत दे दिए व कहा कि आयुक्त झारिया ने दुकान सील करने के आदेश जारी किए है। काफी मानमनौवल दुकानदार ने की, 4 हजार रुपए का जुर्माना करके दल लौट गया।

कचरे से भरा थैला फिंकवाया, गुप्ता कलर लैब पर जुर्माना

रतलाम | शुक्रवार सुबह नगर निगम स्वच्छता अमले ने एक ऑटो (एमपी 43 के 2635) को तब पकड़ा, जब वह चुपचाप कचरे से भरे पांच थैले भरकर रवाना होने वाला था। जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर तैनात सफाईकर्मी कमल ने उसे पकड़कर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पूछताछ करने पर ड्राइवर राहुल जेथपुरिया ने बताया चला स्टेशन रोड स्थित गुप्ता कलर लैब संचालक ने ऑटो वाले को किराया देकर कचरा फैंकने भेजा था। स्वास्थ्य अधिकारी ने कलर लैब संचालक रवि गुप्ता से बात की तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। इस पर स्वास्थ्य अधिकारी ने 4000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी प्रकार महू रोड पर गंदगी फैलाने पर राहुल पर 100 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया।

14 सफाई कर्मचारी फिर मिले अनुपस्थित : गुरुवार को सफाई के चार झोन में फिर 14 सफाई कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी को नोटिस जारी किए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर बर्खास्त, निलंबन सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व अमले द्वारा दो दुकानें सील की गई

रतलाम। मास्क नहीं पहनने और दुकान में ज्यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इनमें कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स सम्मिलित है। दोनों दुकानें 24 घंटे के लिए सील कर दी गई है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड निर्देशन में मास्क का नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान जिले में सतत जारी रहेगा। कलेक्टर ने अपील की है कि सभी व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से पहने, कोरोना के संक्रमण से बचें।

मास्क नहीं पहनने पर पोहावाला और पेटलावद ज्वैलर्स की दुकानें सील की गई

रतलाम। मास्क नहीं पहनने और दुकान में %यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इनमें कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद %वेलर्स सम्मिलित है। दोनों दुकानें 24 घंटे के लिए सील कर दी गई है। कलेक्टर गोपालचंद डाड निर्देशन में मास्क का नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान जिले में सतत जारी रहेगा।

कलेक्टर ने अपील की है कि सभी व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से पहने, कोरोना के संक्रमण से बचें।

कोरोना का कहर : बुधवार को 56 नए पॉजिटिव मिले, एक की मौत

सिंहम रिपोर्टर रतलाम

तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने जिलेवासियों ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को 56 नए पाजिटिव केस सामने आए, वहीं एक की मौत हो गई। 26 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 366 हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है।

शहर के शास्त्री नगर, तेजा नगर, पीएनटी कालोनी, दौलतगंज, मनीष नगर, कस्तूरबा नगर, शिव विहार कालोनी, नवकार रेसिडेंसी, रत्नेश्वर रोड, शक्तिनगर, सज्जन मिल की चाल, लौहार पट्टी, सलीम अपार्टमेंट, काटजू नगर, वीर सावरकर मार्ग, दीनदयाल नगर, जवाहर नगर, चांदनी चौक, महावीर नगर, धीरज शाह नगर, राजेंद्र नगर, आफिसर कालोनी, बग्घी खाने के सामने पैलेस रोड, लक्ष्मी नगर, कृष्णा गली, लक्ष्मणपुरा, सिद्धांचलम, वेद व्यास कालोनी, इंद्रलोक नगर, वरदान नगर, हाट की चौकी सहित कलोरी खुर्द, भाटी बड़ौदिया, जावरा, सरवन, बिलपांक, हरसौला, सैलाना, दंतोड़िया, शिवगढ़ के व्यक्ति सम्मिलित हैं। रतलाम के मुखर्जी नगर निवासी 47 वर्षीय पुरुष को 22 मार्च को भर्ती किया गया था, उनकी उसी दिन मृत्यु हो गई। सिंघम 25

जावरा में 396 लोगों को लगे कोविशील्ड के टीके

जावरा। जावरा ब्लाक के विभिन्न टीकाकरण सेंटरों पर बुधवार को 396 लोगों कोविशील्ड टीके लगाए गए। बीएमओ डा. दीपक पालड़िया ने बताया कि जावरा के सरकारी अस्पताल में 140, ग्राम उपलई 100, ग्राम लसुड़िया जंगली 40, ग्राम सेजावता 39, ग्राम हाटपिपलिया 30, ग्राम सादाखेड़ी 30, ग्राम रोला के वैक्सीन सेंटर पर 17 लोगों को टीके लगाए गए। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से कुछ समय के लिए केंद्र पर रोका गया। बुधवार को विधायक डा. राजेंद्र पांडेय, पूर्व नपाध्यक्ष मोहम्मद युसुफ कड़पा के साथ आमजन को टीके लगाए गए। पूर्व नपाध्यक्ष कड़पा द्वारा अपने क्षेत्र में लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

प्रदेश में 11 हजार से ज्यादा सक्रिय मामले

बढ़ता संक्रमण ● 24 घंटे में 1885 मरीज मिले, नौ और लोगों की मौत, 6.9 फीसद हुई दर संक्रमण

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पिछले 16 दिन से लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बुधवार को प्रदेश में 1,885 मरीज मिले और अलग-अलग जिलों में नौ मरीजों की मौत हुई। 10 जनवरी को प्रदेश में 10 मरीजों की मौत हुई थी। इसके बाद मौतों आंकड़ा आठ या इससे कम रहा है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 11004 हो गई है। इनमें करीब 70 फीसद मरीज होम आइसोलेशन में हैं।

बुधवार को प्रदेश की निजी और सरकारी लैब में जांच के लिए 29159 सैंपल भेजे गए थे। इनमें 27302 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 1885 सैंपल संक्रमित मिले। यानी संक्रमण दर 6.9 फीसद रही है। भोपाल में संक्रमण दर करीब 12 फीसद पर पहुंच गई है।

उज्जैन में 83, रतलाम में 65 व देवास में 13 नए मरीज मिले

उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में गुरुवार को 83 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। देर रात आई रिपोर्ट में 82 मरीज उज्जैन व एक तराना से मिला है। अब जिले में 465 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 214 में कोई लक्षण नहीं है। अब तक कोरोना से 108 मरीजों की मौत हो चुकी है।

रतलाम में बढ़े मामले: रतलाम जिले में 65 नए पाजिटिव सामने आए। इसमें रतलाम शहर सहित सैलाना, जावरा, रावटी, बिलपांक, शेरपुर, रियावन आदि स्थानों के मरीज शामिल है। देवास जिले में 13 संक्रमित मिले। सक्रिय मरीज 100 हैं।

पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में दादी की देखभाल कर रहा पोता

खंडवा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। खंडवा के गोकुलधाम निवासी वृद्ध दंपती कोरोना पाजिटिव मिले। इसमें 75 वर्षीय वृद्धा को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। पति की उम्र अधिक होने और संक्रमण नियंत्रित होने से होम आइसोलेट किया गया है। परिवार में अधिकांश सदस्य नौकरीपेशा होने से अन्य कोई सदस्य दौड़भाग के लिए नहीं हैं। ऐसे में झाबुआ के सीएमएचओ कार्यालय में लेखापाल पोता सुमित क्षीरसागर एक सप्ताह का अवकाश लेकर दादा-दादी की सेवा करने के लिए घर आया है। वह घर पर दादा का ख्याल रखने के साथ ही कोविड केयर सेंटर में पीपीई किट पहनकर दादी की भी देखभाल कर रहा है। उसका कहना है कि दादी का उस पर विशेष स्नेह होने से हौसला अफजाई और देखभाल के लिए वह अवकाश लेकर आया है। नईदुनिया

खंडवा : कोविड वार्ड में भर्ती दादी की हौसला अफजाई करने के लिए पीपीई किट पहनकर पहुंचा पोता। ● नईदुनिया

'तू आ गया, मैं अब जी जाऊंगी'

कोविड वार्ड में दादी से मिलने के लिए गुरुवार को सुमित पहुंचा तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पोते को देखते ही बोली- 'तू आ गया, मैं अब जी जाऊंगी।' पोते ने उन्हें कोरोना से नहीं घबराने की समझाइश देते हुए हिम्मत रखने की बात कही। सुमित ने बताया कि उनके परिवार के अधिकांश सदस्य स्वास्थ्य विभाग में ही कार्यरत है। इसलिए सेवा का जज्बा सभी के दिलों में है।

पुलिस बनकर महिला कर रही थी मास्क नहीं पहनने वालों से वसूली

प्रकरण दर्ज

- बस स्टैंड क्षेत्र से लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया
- मंदसौर जिले के ग्राम खजुरिया निवासी है आरोपित महिला

रतलाम। महू रोड बस स्टैंड क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर एक महिला द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों से अवैध वसूली करने पर लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस को सौंपा।

पुलिस के अनुसार बस स्टैंड क्षेत्र में धापूबाई पत्नी नंदलाल भोई निवासी काजीपुरा ठेला लगाकर फल बेचती है। छह-सात दिन पहले एक पुलिस की वर्दी में महिला उसके पास आई और कहा कि मास्क क्यों नहीं लगाया है। 100 रुपये दो नहीं तो 250 रुपये पेनाल्टी की रसीद कटेगी। महिला को पुलिस मानकर 100 रुपये दे दिए। इसके कुछ देर बाद पास में ही ठेला लगाने वाले शरीफ का नगर निगम वालों ने चालान बनाया और 100 रुपये लेकर रसीद भी दी। महिला ने मुझे रसीद नहीं थी तो उसे बस स्टैंड क्षेत्र में तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। इस बीच आज दोपहर करीब 2:30 बजे पता चला कि वह महिला बसों में मास्क के नाम पर रुपये ले रही है। इस पर बस स्टैंड क्षेत्र के पुलिस वालों को सूचना दी और उस महिला को पकड़ा। महिला ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और कंधे पर मोनो लगा हुआ था। पूछताछ में उनने अपना नाम निकिता पत्नी बाबू खेतरा निवासी ग्राम खजुरिया जिला मंदसौर होना बताया। महिला को पुलिस जवान की मदद से थाने लाया गया। स्टेशन रोड थाने पर महिला के खिलाफ भादवि की धारा 170, 171, 419, 420 में प्रकरण दर्ज किया है। नईदुनिया।

इन्दौर 25

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी सावधानियाँ बरतें, सभी उपायों को अपनाएँ

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत धर्मगुरुओं, राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों और मीडिया के मित्रों से जन-जागरूकता बढ़ाने में सहयोग देने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इन वर्गों को पत्र लिखकर भी यह आग्रह कर रहे हैं कि मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा और मेरी होली मेरे घर के अभियान में सहयोग प्रदान करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए यदि अन्य आवश्यक कदम उठाने होंगे, तो अवश्य उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा जागरूकता अभियान में सभी का सहयोग आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती रहेंगी, लेकिन संक्रमण को रोकना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहाँ एक ओर उपचार और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है वहीं नागरिकों के बीच यह संदेश पहुँचाया जा रहा है कि स्वयं के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में फेस मास्क का अवश्य उपयोग करें। अन्य सावधानियों का भी पालन करें। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कोरोना संक्रमण के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके अनुसार करीब 1700 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में इनकी संख्या 450 और भोपाल में 385 है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी स्थानों विशेष रूप से इंदौर और भोपाल इन दोनों नगरों में आवश्यक सावधानियाँ अपनाना होंगी।

जल निगम इसी साल पहुंचाएगा 6 हजार से अधिक ग्रामों को नल से जल

64 लाख आबादी होगी लाभान्वित

प्रसारण न्यूज * रतलाम

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय करने की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा की जा रही है। वर्तमान में 15 हजार 370 करोड़ रुपये की जलप्रदाय योजनाओं में से जल निगम लगभग 2,662 करोड़ रूपये लागत की जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य कर रही है।

जल निगम द्वारा 26 जिलों के 6,153 ग्रामों के लिए जिन जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उन सभी योजनाओं को जुलाई से दिसंबर 21 के बीच पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जल निगम की इन 39 जल परियोजनाओं में 9 लाख 77 हजार 640 घरेलू नल कनेक्शन दिए जायेंगे।

जलप्रदाय की प्रचलित इन योजनाओं के मूल्यांकन अनुसार 40 से 97 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुके है। प्रस्तावित ग्रामों की इन जल संरचनाओं से 64 लाख 47 हजार 955 आबादी को लाभ पहुँचेगा। अलग-अलग ग्रामों की जलप्रदाय योजना का कार्य पूर्ण होते ही वहाँ के रहवासियों को नल कनेक्शन कर जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रसारण

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम। गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमो को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमो पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हेण्डल सहीत व हेण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तों से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबधित को दिये।

प्रसारण

गुप्ता कलर लेब पर 4 हजार का जुर्माना

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर गुप्ता कलर लेब स्टेशन रोड पर 4000 व राहूल मह्रू रोड पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

प्रसारण

प्रतिबंधित पॉलीथीन उपयोग ...गुप्ता कलर लेब पर 4000 का जुर्माना

रतलाम। शहर में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित होने के बावजूद भी उपयोग में लाई जा रही हैं। कलेक्टर एवं प्रशासक गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर गुप्ता कलर लेब स्टेशन रोड पर 4000 व राहूल मह्रू रोड पर 100 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

प्रसारण

दिलबहार चौराहा पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

प्रसारण

रतलाम। नागरिको की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे। आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपतिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

13 लोगों ने दिए सुझाव, 24 अप्रैल से शुरू होगा सुनवाई का दौर

मास्टर प्लान को लेकर 277 आपत्ति

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

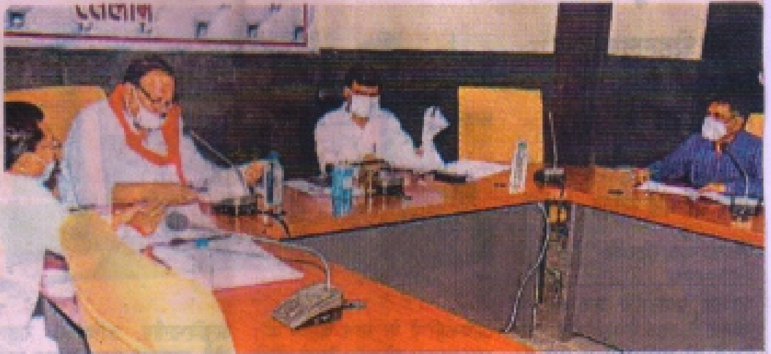

रतलाम. रतलाम के मास्टर प्लान 2035 को लेकर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर विधायक चैतन्य काश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के दौरान जानकारी सामने आई कि मास्टर प्लान को लेकर अब तक 277 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है जबकि 13 लोगों ने इस मामले में अपने सुझाव भी दिए हैं।

मास्टर प्लान पर दावे आपत्ति की सुनवाई का दौर अब शुरू होना है। 2035 के मास्टर प्लान को लेकर कई तरह की विसंगति होने के संबंध में शहर के लोगों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 13 लोगों के द्वारा विभिन्न मामलों में शहर विकास से जुड़े इस मामले को लेकर अपने सुझाव भी दिए गए हैं। दावे, आपत्ति और सुझाव को लेकर सुनवाई 24 अप्रैल से शुरू होगी। बैठक में रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना और जिला पंचायत प्रधान परमेश मईड़ा भी शामिल थे।

चर्चा का दौर रहा मास्टर प्लान

पत्रिका

मास्टर प्लान की चर्चा बीते कुछ समय से शहर में जोरों पर है कई लोगों के द्वारा अधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुए प्लान तैयार करने की बात भी कही थी। वही सब बातें आपत्तियों के रूप में भी सामने आ रही हैं। कलेक्टर गोपाल चंद डाड सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

कार्रवाई

पत्रिका

नए आदेश के बाद एक और कॉलोनाइजर को नोटिस जारी

अब तक पांच को दिए सूचना पत्र

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. तय समयावधि में कालोनी का विकास कार्य पूरा नहीं करने वाले कालोनाइजरों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा कागजी कार्यवाही शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह चार कॉलोनाइजर को नोटिस दिए थे, इसके बाद अब गुरुवार को एक और कॉलोनाईजर मेसर्स रचना हाउसिंग को सूचना पत्र जारी किया है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि मेसर्स रचना हाउसिंग के कालोनाईजर अनिल झालानी व प्रवीण सेलवाडिया सहित अन्य को भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कालोनी का विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण नोटिस जारी किया गया है। कालोनाइजर को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कालोनाईजर को दी गई कालोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों का निगम द्वारा विक्रय कर कालोनी के विकास कार्य पूर्ण करने बाबत अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है। समयावधि में कालोनाइजर द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

पत्रिका
विस्तृत खबरों और फोटोग्राफ्स के लिए देखें... patrika.com

विकास कार्य पूर्ण नहीं करने पर कालोनाइजर को नोटिस

रतलाम। समयावधि में कालोनी का विकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले कालोनाइजरों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी है। भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कालोनी का विकास कार्य नियत समय में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउसिंग के अनिल झालानी व प्रवीण सेलवाड़िया एवं अन्य को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रविधानों के अनुसार कालोनाइजर को दी गई कालोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गए भूखंडों का निगम द्वारा विक्रय कर कालोनी के विकास कार्य पूर्ण करने के लिए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। समयावधि में कालोनाइजर द्वारा समाधान कारक कार्रवाई नहीं करने पर नगर निगम आगे की कार्रवाई करेगा।

नईदुनिया

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

विधायक के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का होगा हस्तांतरण

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कॉलोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा। गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कॉलोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। विधायक काश्यप ने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कॉलोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेफ्टी टेंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया। अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए।

ए ब्लाक में ही विकास कार्य अधूरा

उल्लेखनीय है कि तीन ब्लाकों में बटी इस कॉलोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने है। गृह निर्माण मंडल द्वारा कॉलोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए है। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कॉलोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ। गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एमके गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा।

विधायक काश्यप के नेतृत्व में शुरू हुआ मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा अभियान

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ भाजपा ने सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के आह्वान पर मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा अभियान की शुरूआत की। विधायक चेतन्य काश्यप के नेतृत्व में शहर में सुबह 11 बजे सायरन की आवाज के साथ सभी 2 मिनट के लिए रुके और नागरिकों को मास्क के प्रति जागरूक किया।

श्री काश्यप ने बिना मास्क लगाए व्यापार कर रहे पान व्यवसायी को मास्क पहनाया। उन्होंने मार्ग से गुजरने वाले अन्य कई लोगों को भी मास्क नहीं होने पर रोका और उन्हें मास्क पहनाया। श्री काश्यप ने आम लोगों से आह्वान किया कि वे खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें।

सरकार द्वारा इस दिशा में रोको-टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। जिसके तहत सक्षम लोगों को चाहिए कि वे जरूरतमंद लोगों को मास्क मुहैया कराकर उसका महत्व बताएं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ब्रिलेश गांधी, मयूर पुरोहित, आदित्य डागा, करणधीर्य बड़गोत्या, कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा मौजूद थे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार सिंधम टाईम्स पृष्ठ 24 दिनांक 25/03/2021

आपसी समझौते से होगा मामले का निराकरण

10 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 अप्रैल शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा।

उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उमेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा. रतलाम की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही उक्त समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भी भेजने हेतु आदेशित किया गया।

इसके साथ ही साबिर अहमद खान, सचिव/अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समस्त विभागों- बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीमा कंपनियों तथा अधिवक्तागणों की बैठकों का आयोजन ए.डी.आर. सेंटर जिला न्यायालय परिसर रतलाम में किया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर सूचना पत्र जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। मोटर क्लेम प्रकरण, एन.आई. एक्ट 138 के प्रकरण, विद्युत के लंबित प्रकरण एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में आपसी समझौते [illegible] अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में न्यायाधीशगणों बीमा कंपनी के अधीकारीगणों तथा अधिवक्तागणों द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत किये गए।

समस्त आम जन से अपील है कि अपने अधिवक्तागणों एवं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें जिससे कि न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सकें उक्त लोक अदालत में यथा समय स्वीकृत दरों अनुसार पेनाल्टी, सरचार्ज व समझौता शुल्क में छूट का लाभ भी प्रदाय किया जावेगा।

सिंघम 25

संक्रमण बेकाबू • प्रदेश में 919 कोरोना संक्रमित ठीक हुए, 9 लोगों की गई जान

प्रदेश में 1885 नए मरीज मिले

- इंदौर में 612, भोपाल में 425 नए मरीज मिले
- इंदौर में रंगपंचमी पर रहेगी लॉकडाउन जैसी सख्ती

आज से ज्यादा सख्ती

भोपाल में ज्यादातर स्वीमिंग पूल, सिनेमा बंद रहे, आज सख्ती से लागू होगी गाइडलाइन

घर की होली

इंदौर में रात 9 बजे से बंद होंगे बाजार, होली पर भी घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे लोग

यहां खतरा ज्यादा...

छिंदवाड़ा में 32 घंटे का लॉकडाउन शनिवार से, बुरहानपुर के शेखापुर में दो दिन सब बंद

भास्कर संवाददाता | भोपाल/इंदौर

प्रदेश में गुरुवार को 1885 नए मरीज मिले, 9 मरीजों की मौत हो गई। इनमें भोपाल के बागसेवनिया निवासी 51 वर्षीय नवनीत श्रीवास्तव भी शामिल हैं। वे मंडीदीप की केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा के प्रबंधक थे। गुरुवार को इंदौर में 612 और भोपाल में 425 नए मरीज मिले। यह बीते एक साल में किसी एक दिन में मिले नए मरीजों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। भोपाल में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने बैठक में फैसला लिया कि जिस इलाके में पांच से ज्यादा केस होंगे, वहां माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनेगा। नाइट कर्फ्यू के समय को भी रात 10 बजे की जगह रात 8 बजे करने पर फैसला शुक्रवार को होगा। भोपाल में गुरुवार को ज्यादातर स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमाघर बंद रहे। 90% रेस्तरां में भी दोपहर बाद से बैठकर खाने की व्यवस्था बंद रही। इंदौर में गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर 24 घंटे के लिए ही दुकान, संस्थान सील करेंगे। खोलते समय छोटे पर 500 व बड़े संस्थान पर एक हजार का जुर्माना लगाएंगे।

रतलाम में 65 नए पॉजिटिव मिले, कुल मरीज पांच हजार के पार, 100 साल की बुजुर्ग भी संक्रमित

रतलाम | रतलाम जिले में गुरुवार को एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है। एक साथ 65 नए पॉजिटिव सामने आए। इधर, कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी 5045 पर आ गया। हमारे जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ 5 दिन में 262 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। नवंबर महीने के बाद संक्रमितों ने इस तरह की रफ्तार पकड़ी है। गुरुवार को मिले संक्रमित में 3 साल की बालिका से लेकर बिलपांक की 100 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल है। यह पहला मौका है, जब 100 साल की उम्र का कोई पॉजिटिव हुआ है।

वैक्सीन लगवाने वाले 50 हजार के पार- इधर, कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 50,497 पर पहुंच गई है। गुरुवार को जिले में 43 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। जहां 1947 लोगों ने टीका लगवाया। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर नानावरे ने बताया शुक्रवार को नियमित टीकाकरण सत्र होने के कारण कोविड टीकाकरण नहीं होगा।

त्योहार... होलिका दहन, शब-ए-बरात सांकेतिक रूप से मनेंगे

भोपाल में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में होलिका दहन, शब-ए-बरात सांकेतिक रूप से मनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा- रविवार को ये दोनों पर्व हैं, इसलिए तीन-तीन घंटे की छूट दें। शब-ए-बरात में लोग पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं। इस पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने कहा- छूट देंगे तो शहर में भीड़ जमा हो जाएगी। बैठक में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमें त्योहारों के साथ-साथ व्यक्ति को संक्रमित होने से बचाना है। इसलिए प्रशासन विभिन्न इलाकों में कहां पर कितने मरीज हैं, इसकी रिपोर्ट दे। फिर तय करेंगे कि कौन सा त्योहार मनाएं? अब शुक्रवार की बैठक में फैसला होगा।

गाइडलाइन... इंदौर में धर्मस्थल भक्तों के लिए बंद, पूजा होगी

इंदौर में सभी धर्मस्थलों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। यहां पूजा होती रहेगी। अब रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा। होलिका दहन नहीं होगा, लोग धुलेंडी पर बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहीं बुरहानपुर के शेखापुर गांव में गुरुवार रात 12 बजे से शनिवार रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

24 शहरों में 10 से कम केस

24 शहरों में 10 से कम तो मुरैना-छतरपुर में एक-एक केस मिला है। चार शहर शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर और निवाड़ी में एक भी केस नहीं मिला है।

भास्कर

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर पृष्ठ 19 दिनांक 26/03/2021

संकलन—नगर निगम, रतलाम अखबार अग्निबाण --पृष्ठ 08 दिनांक 25/03/2021

मप्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, चुनाव कराने में आगे-पीछे हो रहा आयोग

सितंबर तक टल सकते हैं स्थानीय चुनाव

भोपाल, अग्निबाण संवाददाता

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते एक बार फिर स्थानीय सरकार के चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के इंदौर भोपाल सहित सभी जिलों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश सरकार लोगों को जागरुक कर मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जुट गई है। ऐसे में अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो कोरोना पर लगाम लागाना मुश्किल हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग भी स्थानीय चुनाव कराने में आगे-पीछे हो रहा है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव सितंबर तक टल सकते हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ ने अध्यक्ष, महापौर की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग वकीलों से विधिक राय ले रहा है। इसमें यह जानने की कोशिश की जा रही है कि जिन जिलों में आरक्षण को लेकर पेंच फंसा है, वहीं चुनाव रोके जा सकते हैं या सभी निकायों में चुनाव रोकने होंगे। विधिक राय आने के बाद ही आयोग निकाय और पंचायत चुनाव कराने के संबंध में निर्णय लेगा। अग्निबाण 25

चुनाव आयोग के वकीलों की राय

30 मार्च के बाद आने की संभावना है। अप्रैल में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में आयोग के सामने दो समस्या खड़ी हो सकती हैं। इसमें पहले मतदान केन्द्र और दूसरी समस्या मतदानकर्मियों की कमी को लेकर आ सकती है। इसके बाद यदि चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं तो एक महीने का समय मिलेगा। इसमें भी करीब 25 दिन अधिसूचना और चुनाव कराने में लगेंगे। जून में बारिश की शुरुआत हो जाती है। इस स्थिति में न तो पंचायतों में चुनाव हो पाएंगे और न ही नगरीय निकायों में वोटिंग हो सकेगी।

चारो तरफ फैली गंदगी को रहवासियों ने सामूहिक रुप से मिलकर किया साफ, उक्त स्थान पर करेंगे वृक्षारोपण

रतलाम । जवाहर नगर मुक्तिधाम के सामने लंबे समय से व्याप्त कचरे गन्दगी कि आज स्थानीय रहवासियों ने सामूहिक रुप से मिलकर सफाई की और सभी कचरे को एकत्र कर जलाया गया वहां सफाई करने के बाद सभी रहवासियों ने इस स्थान पर पानी छिड़ककर साफ किया और चूना बिखेर कर वहां आगामी समय पर पौधों का रोपण किया जाएगा। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत के मिशन में जनता ने भी अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए अपना योगदान दिया और अपने घर के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर अपनी सेवा दी इस मौके पर राधेश्याम परमार , रचना जी , हेमन्त कौशल , गोपी गहलोत आदि रहवासियों ने मिलकर सफाई कर उक्त क्षेत्र को स्वच्छ बनाया।

नगर निगम ने विकास कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर तीन कालोनाईजर को जारी किया नोटिस

रतलाम। समयावधि में कालोनी का विकास कार्य पूर्ण नही करने वाले कालोनाईजरों के विरुद्ध नगर पालिक निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मेसर्स रचना हाउसिंग को सूचना पत्र जारी किया है।

नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउसिंग के कालोनाईजर अनिल झालानी व प्रवीण सेलवाडिया एवं अन्य को भक्तन की बावडी स्थित आवासीय कालोनी का विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण कालोनाईजर को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कालोनाईजर को दी गई कालोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों का निगम द्वारा विक्रय कर कालोनी के विकास कार्य पूर्ण करने बाबत अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है दी गई समयावधि मे कालोनाईजर द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नही करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

निगम का कालोनाईजर को नोटिस

रतलाम । समयावधि में कालोनी का विकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले कालोनाईजरों के विरुद्ध नगर पालिक निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिसके तहत मेसर्स रचना हाउसिंग को सूचना पत्र जारी किया है। नगर निगम द्वारा मेसर्स रचना हाउसिंग के कालोनाईजर अनिल झालानी व प्रवीण सेलवाडिया एवं अन्य को भक्तन की बावड़ी स्थित आवासीय कालोनी का विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण नहीं करने तथा शेष आश्रय शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण कालोनाईजर को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कालोनाईजर को दी गई कालोनी विकास अनुमति निरस्त करते हुए, विकास कार्य के एवज में बंधक रखे गये भूखण्डों का निगम द्वारा विक्रय कर कालोनी के विकास कार्य पूर्ण करने बाबत अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है दी गई समयावधि में कालोनाईजर द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने पर सूचना-पत्र अनुसार कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

निर्माण श्रमिक 31 मार्च तक पंजीयन कराएं

रतलाम। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन का एक और मौका दिया गया है। पात्रता में आने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नही कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीकृत हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन नही हुआ है वे भी भौतिक सत्यापन कराएं। जिनके पंजीयन में नाम पता, बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर में या अन्य कोई त्रुटि है तो उसका शुद्धिकरण ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में आवेदन देकर कराया जा सकता है।

निर्माण श्रमिक 31 मार्च तक पंजीयन कराएं

रतलाम। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन का एक और मौका दिया गया है। पात्रता में आने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीकृत हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन नही हुआ है उनसे अपने पंजीयन का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया गया है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार पीपुल्स समाचार पृष्ठ 16 दिनांक 25/03/2021

फिर लॉकडाउन का मार्च

भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ खरगोन, छिंदवाड़ा, बैतूल और रतलाम में भी अब हर रविवार लॉकडाउन

होली, शब-ए बारात, ईस्टर, ईदुल-फितर पर नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्त्रां से सिर्फ होम डिलीवरी होगी

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425078939

प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम जिले में भी हर रविवार लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। होली, शब-ए बारात, ईस्टर, ईदुल-फितर के त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे।

जिन शहरों में 20 से अधिक कोविड संक्रमित मिल रहे हैं वहां होटल, रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यह अब केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। ऐसे शहरों में सिनेमाघर, क्लब, स्विमिंग पूल और जिम भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,712 नए संक्रमित मिले हैं। यह इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भोपाल और जबलपुर में कोरोना केस में एक हफ्ते में 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है। चिंताजनक बात यह है कि एक्टिव केस 10 हजार के पार हो गए हैं। इसके बाद सख्त कदम उठाने पड़े।

इस रफ्तार पर लगाम जरूरी

पाबंदियां : जहां 20 से ज्यादा केस हैं, वहां जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर और क्लब बंद रहेंगे।

शादी समारोह में 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। शव यात्रा में 20 व्यक्ति, उठावना में 50 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं। धार्मिक स्थल बंद करने का निर्णय जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी लेगी।

धर्मगुरुओं का लेंगे सहयोग : सीएम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वे सभी राजनीतिक दलों व धर्मगुरुओं को पत्र लिखकर सहयोग करने की अपील करेंगे। मास्क लगाने के लिए तेजी से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

मंत्री बोले- शनिवार और रविवार रखें लॉकडाउन

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रस्ताव दिया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 7 शहरों में लॉकडाउन रविवार के अलावा शनिवार को भी लागू होना चाहिए। यानी हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन रहे। कृषि मंत्री कमल पटेल का सुझाव था कि हरदा में आयोजित होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में रोक लगाई जानी चाहिए।

277 आपत्तियों के निराकरण के लिए सुनवाई 24 अप्रैल को

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के मास्टर प्लान 2035 प्रारूप के प्रकाशन के बाद छह फरवरी से छह मार्च तक 30 दिन में कुल 277 आपत्तियां नगर व ग्राम निवेश विभाग को मिली हैं। इसके साथ ही 13 सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। आपत्ति-सुझाव को लेकर 24 अप्रैल से सुनवाई होगी। मास्टर प्लान को लेकर गुरुवार को कलेक्टोरेट में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड की अध्यक्षता में हुई जिला समिति की बैठक में आपत्तियों की जानकारी दी गई। बैठक में शहर विधायक चेतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी मौजूद रहे।

मालूम हो कि मास्टर प्लान का प्रारूप छह फरवरी को जारी किया गया था। इसके बाद 30 दिन का समय दावे आपत्ति के लिए दिया गया। दर्ज आपत्तियों में ग्रीन बेल्ट, आवासीय प्रयोजन लेने आदि पर आपत्ति मिली है। इसमें हनुमान ताल के पास की कुछ जमीनों का लैंड यूज कृषि उपयोग व क्षेत्रीय उद्यान से आवासीय करने पर भी है। इसी तरह बंजली की चुनिंदा जमीनों को आवासीय किए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है।

ये खास प्रविधान : राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर सड़क के दोनों ओर 200-200 मीटर की गहराई में, राष्ट्रीय राजमार्ग-1 से सैलाना निवेश क्षेत्र की ओर 250-250 मीटर, सेजावता से बंजली बायपास पर सड़क के एक ओर 150 मीटर तक, राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर मंदसौर की ओर 250-250 मीटर के क्षेत्र में आवासीय, अर्धशासकीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निर्माण किए जा सकेंगे। तालाब के पास 30 तो नालों के पास का नौ मीटर का एरिया नगर वन के लिए रखा गया है।

वर्ष 2021 के मुकाबले आवासीय क्षेत्र बढ़ा दिया

मास्टर प्लान 2035 के लिए निवेश क्षेत्र बढ़ाया गया है। नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में वृद्धि की गई है। वर्ष 2021 में कुल निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 10163 हेक्टेयर था। इसमें नगरीय क्षेत्र 2425.30 व ग्रामीण क्षेत्र 7738.40 हेक्टेयर था। वर्ष 2035 में ग्रामीण क्षेत्र में कमी करते हुए 7106.49 हेक्टेयर कर दिया गया जबकि नगरीय क्षेत्र बढ़ाकर 3211.64 हेक्टेयर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या 13 रखी गई है।

> मास्टर प्लान 2035 के ड्राफ्ट पर 277 आपत्ति व 13 सुझाव मिले हैं। 24 अप्रैल से निराकरण के लिए सुनवाई की जाएगी।
>
> –डीएल वर्मा, सहायक संचालक नगर व ग्राम निवेश विभाग, रतलाम

भूमि उपयोग पर दर्ज आपत्तियों की संख्या

- आमोद प्रमोद से आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग पर– **109**
- सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक से आवासीय, वाणिज्यिक उपयोग पर–**39**
- मार्ग प्रस्तावित करने पर–**20**
- यातायात से कृषि, वाणिज्यिक, आवासीय, मिश्रित पर–**45**
- औद्योगिक से कृषि, वाणिज्यिक, आवासीय, मिश्रित पर–**28**
- कृषि से वाणिज्यिक, आवासीय, मिश्रित पर–**21**
- वाणिज्यिक से आवासीय, मिश्रित पर–**04**
- मिश्रित से कृषि पर–**03**
- सुझाव– **13**

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस –पृष्ठ 20 दिनांक 26/03/2021

शिवराज कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

प्रदेश की छह हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां होंगी वैध

इस बिल को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में लागू किया जाएगा

बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई।

भोपाल, (प्रसं)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में छह हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी गई। नियमितिकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोग के अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। यह भी तय किया है कि जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उसमें 20 प्रतिशत अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाएगा। इससे अधिक निर्माण को तोड़ा जाएगा।

सरकार अब विधयेक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे, जिसमें अवैध कॉलोनी की कट ऑफ डेट, नियमित योग्य कॉलोनी में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉलोनाइजर और रहवासियों से कितनी राशि ली जाएगी। कैबिनेट में हुए निर्णय के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, बिना अनुमति निर्माण करने पर कॉलोनाइजर अथवा बिल्डर के खिलाफ सात साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऐसे प्रावधान नियमों में किए जाएंगे।

प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में ऐसी कॉलोनियां सबसे ज्यादा हैं। शिवराज सरकार अगर निकाय चुनाव से पहले इन्हें नियमित कर देती है, तो यह बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी घोषणा की थी, लेकिन सत्ता में वापस नहीं लौट पाए थे। कांग्रेस की सरकार में यह ठंडे बस्ते में चला गया था।

बैंक से लोन मिल सकेगा

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का संशोधित कानून लागू होने के बाद निर्मित मकानों के नक्शे स्वीकृत होंगे। साथ ही, लोग निर्माण के लिए बैंक से लोन भी ले सकेंगे। इन कॉलोनियों में कई प्लॉट अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि नक्शा स्वीकृत नहीं होने के कारण बैंक से लोन नहीं मिल पाया था।

ये प्रावधान भी होंगे

- पहले अवैध कॉलोनी निर्माण के दौरान रहवासी को भी अभियुक्त बनाया जाता था, लेकिन नए कानून में सिर्फ कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- बिना अनुमित निर्माण करने पर कालोनाइजर अथवा बिल्डर के खिलाफ सात साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
- यदि बिल्डर ने यह राशि नहीं चुकाई, तो बैंक गारंटी या फिर संपत्ति कुर्क की जाएगी।
- नगर निगम के अफसरों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि अवैध निर्माण होता है तो संबंधित अफसर व कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए 316 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सालय में भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से जनता को विशिष्ट चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार से संबंधित निर्माण कार्य करने के लिए 316 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए तीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति दी। कैबिनेट ने दो पत्रकार सुनील तिवारी और नरेंद्र कुलश्रेष्ठ की गंभीर बीमारी को विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकरण मानते हुए नियमों को शिथिल करते हुए सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम दो माह के लिए देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था तथा संपूर्ण वर्ष 2021-22 के लिए भांग की दुकानों के निष्पादन, विनिर्माण इकाईयों, वेयर हाउस तथा बार लाइसेंस के प्रदाय की व्यवस्था का अनुमोदन किया। भिंड सैनिक स्कूल के लिए अनुमोदन-कलेक्टर भिंड द्वारा सैनिक स्कूल के लिए औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 एकड़ भूमि चिन्हित कर आवंटन के लिए प्रस्तावित की है। राज्य शासन के दायित्वों के लिए कुल व्यय तीन करोड़ रुपए राज्य बजट में प्रावधानित किया गया है। अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि 70 से 100 करोड़ रुपए तक व्यय होना संभावित है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

215

मध्यप्रदेश के सात शहरों में सख्ती : सात दिन में दोगुनी हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार

रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा बैतूल में भी संडे को लॉकडाउन

भोपाल » सिटी रिपोर्टर

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिन में दोगुनी हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1712 नए संक्रमित मिले हैं। इसको देखते हुए सरकार ने आने वाले रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में संडे को लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले रविवार से ही इसे लागू किया जा चुका है। अब 28 मार्च को प्रदेश के 7 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन माना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह कोरोना पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद शाम को हुई हाईलेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया।

मध्य प्रदेश के खरगोन और बैतूल जैसे छोटे जिलों में 50 के ऊपर केस मिले हैं। वहीं, राजधानी भोपाल और जबलपुर में कोरोना केस एक सप्ताह में 100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। चिंता की बात यह भी है कि अब एक्टिव केस 10 हजार के पार पहुंच गए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए उट शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा शहरों में लॉकडाउन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा, जिस तरह से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बड़वानी में विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मान किया।

सबसे ज्यादा केस इंदौर में, भोपाल दूसरे नंबर पर

स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इंदौर में 477 नए संक्रमित मिले हैं, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इससे पहले, पिछले साल 9 दिसंबर में 495 केस सामने आए थे। इसी तरह, भोपाल में 385 पॉजिटिव मिले हैं। यह 4 महीने 3 दिन बाद एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 20 नवंबर को भोपाल में 378 केस मिले थे। जबलपुर में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यहां एक दिन में 143 नए संक्रमित मिले हैं।

खरगोन, बैतूल जैसे छोटे शहरों में तेजी से फैल रहा संक्रमण

भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद अब छोटे शहरों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया है। खरगोन और बैतूल में महाराष्ट्र से आवागमन ज्यादा होता है। यही वजह है कि दोनों शहरों में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में खरगोन में 63 और बैतूल में 55 नए संक्रमित मिले हैं।

स्कूल 1 अप्रैल से खुलने की संभावना नहीं

अभी तक प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, लेकिन होली समेत दूसरे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे फैसला लेगी। इस बीच, 8वीं तक के स्कूल 1 अप्रैल से खुलने की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश में एक व्यक्ति से 3 लोगों में कोरोना-संक्रमण फैल रहा है। प्रशासन ने पिछले 2 महीने में चेन तोड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार गुरू एक्सप्रेस पृष्ठ 06 दिनांक 25/03/2021

विधायक काश्यप के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का नगर निगम में होगा हस्तांतरण

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

रतलाम, 24 मार्च निप्र। विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

• गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेफ्टी टैंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया। मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए।

ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बटी इस कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने है। गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ। कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एम.के. गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री ए.आर. मिस्त्री, सब इंजीनियर व्ही.एस. सिसोदिया, बी.एस. राठौर, अशोक कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे।

3 दिवस पहले विकास कार्यो की खुदाई के रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी

रतलाम। नगरीय क्षेत्र में विभिन्न शासकीय योजनाओं के विकास कार्य व निगम निधि के विकास कार्यों के तहत की जाने वाली खुदाई से आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इस हेतु खुदाई के 3 दिवस पूर्व खुदाई का स्थान, कार्य के पूर्ण होने की तिथि व मानचित्र निगम के विभिन्न विभागों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को प्रस्तुत करना होगें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि वर्तमान में रतलाम नगरीय क्षेत्र में विभिन्न शासकीय योजनाओं के विकास कार्यो के साथ ही निगम निधि के भी विकास कार्य प्रचलित है। अलग-अलग योजनाओं तथा अलग-अलग विभागों के कार्य होने के कारण समन्वय के अभाव में होने वाली खुदाई से आमजन की परेशानी का सामना करना पड़ता है व यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, संदेश, सांप्रदायिक संदेश, उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश, शादी करने एवं पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधि को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।

अनुपस्थित 14 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 25 मार्च गुरूवार को 14 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अनुपस्थित 14 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। नगर निगम के चारो जोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान गुरुवार को 14 सफाई संरक्षक बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सभी का एक दिन का वेतन काटा जाकर अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अनुपस्थित 11 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम । निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 21 मार्च रविवार को बिना सूचना के 11 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अवैध कालोनियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम। नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा शहर में बन रही अवैध कालोनियों तथा इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा लगभग 25 कालोनाईजरों को नोटिस दिये गये है। इन अवैध कालोनियों की मैदानी जांच हेतु राजस्व विभाग जिला प्रशासन रतलाम व नगर पालिक निगम रतलाम के इंजीनियरों के संयुक्त दल का गठन किया गया है। अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी। कालोनाईजर तथा भवन निर्माण के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही भी प्रचलित कर दी गई है। अवैध बने मकानों को भी ध्वस्त किया जावेगा। निगम व जिला प्रशासन की इस मुहीम के अर्न्तगत वर्तमान में प्रकाश में आयी सभी अवैध कालोनियों व उनके कालोनाईजरों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही वच पुलिस प्राथमिकी व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अवैध कालोनियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम। नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा शहर में बन रही अवैध कालोनियों तथा इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा लगभग 25 कालोनाईजरों को नोटिस दिये गये है। इन अवैध कालोनियों की मैदानी जांच हेतु राजस्व विभाग जिला प्रशासन रतलाम व नगर पालिक निगम रतलाम के इंजीनियरों के संयुक्त दल का गठन किया गया है। अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी। 22 मार्च को दल द्वारा डोंगरा नगर के पीछे की तरफ बन रही अवैध कालोनी की सड़कों पर जेसीबी चलाकर उखाड़ा गया तथा वहीं अवैध रूप से बन रहे भवनों की निर्माण सामग्री जब्त की गई।